

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर

दिनांक—लेखा/विविध/2019/

दिनांक

समस्त सयुक्त निदेशक,
राजस्थान।

विषय—विभिन्न राजकीय निविदाओं में धरोहर राशि जमा कराने के संबंध में।
संदर्भ— आयुक्त, कार्यालय आयुक्त उद्योग, एवं शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उद्योग भवन, जयपुर का पत्रांक एफ 9 / 12/आउ/मर्केट/ 2011/पार्ट-1 दिनांक 15.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव संदर्भित आदेश के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि आपकी कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा विभिन्न निविदा प्रक्रियाओं में सम्मिलित होने वाले एफओएफ(एम्ओईओ) फर्मों से प्राप्त धरोहर राशि जमा कराने के संबंध में, वित्त विभाग को अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 एव राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एव अधिनियम 2013 की पालना नहीं की जा रही है, जिसे श्रीमान आयुक्त उद्योग, एवं शासन सचिव कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उद्योग भवन, जयपुर द्वारा गभीरता से लिया गया है। अतः राजकीय उपापन में उक्त अधिसूचना की नियमानुसार पालना करया जाना सुनिश्चित कराएँ।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान जयपुर
दिनांक 5/19

दिनांक—लेखा/विविध/2019/

44-48

विभिन्न निम्न कित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एव एओके विभाग, जयपुर।
 2. आयुक्त कार्यालय आयुक्त उद्योग, एवं शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उद्योग भवन, जयपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में।
 3. निर्जी सहायक, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
- प्रभारी सचिव रूम, मुख्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाइट पर पत्र को अपलोड करे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान जयपुर



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

क्रमांक एफ 9/12/आउ/मार्के/2011/पार्ट-1

दिनांक 15 मार्च, 2019

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
विकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान,
शासन सचिवालय, जयपुर

दिनांक

19-3-19

Div(M)

18.3.19

विषय विभिन्न राजकीय निविदाओ मे धरोहर राशि जमा कराने संबंधी
प्रसंग M/s.The Cotton product of India, Udaipur का पत्र
दिनांक 12.02.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 9/12/185 दिनांक 19.11.2015 के क्लॉज 8 (b) के अनुसार राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से राजकीय उपापन मे निविदा मूल्य की 05 प्रतिशत दर से धरोहर राशि लिए उपापन का प्रावधान है। M/s.The Cotton product of India, Udaipur ने पत्र दिनांक 14.02.2019 (प्रति सलग्न) से अवगत कराया है कि आपके विभाग के अधीन अस्पताल उपापन प्रावधान की पालना नहीं कर रहे है।

आपसे अनुरोध है राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के समस्त प्रावधानों की पालना करने हेतु आपका अधीन कार्यालयों को पाबंद कराने का कष्ट उपापन सलग्न उपर्युक्तानुसार

भवदीय

(क क अहल)

(क क अहल)
अयुक्त उद्योग

The Cotton Products of India

(An ISO 9001 : 2008 Firm)

280
Phone : +91-294-2419443 (O)
Telefax : +91-294-2561378
e-mail : enqunes@uhcl.net

Manufacturers & Dealers : ABSORBENT COTTON WOOL I.P.

Office :
155, Chetak Marg,
Udaipur - 313 004 (Raj) India

AD MSME (PKS)

1692200034522 Date : _____

MSME (MSME) 2/02/2019

To

719
13-2-2019

D 226
14/2/19

JFC (MSME)
14/2
MKT

The Director Industries
Udyog Bhawan
Rajasthan
Jaipur

Reference: Earnest money & security deposit for various
Govt. Tenders

Dear Sir

We wish to draw your kind attention that as per finance rule MSME is required to deposit only 1/2 % of value of Item quoted by them.

However most of the Hospitals vide floating the tender do not add this clause & ask for full amount of 2% of whole tender (& not one item).

Most of MSME's find it quite difficult to deposit full payment.

You are requested to advice all Hospital authorities to abide by the financial rule.

Thanking you

Yours Faithfully
For: The Cotton Products of India

(Signature)
Partner

Works : F-329, Bhamashah Industrial Area, Kalladwaas, Udaipur-313001 (Raj.)



राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(1)वित्त/साविलेनि/2007

जयपुर, दिनांक 13.12.2007

परिपत्र संख्या : 29/2010

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II में निम्न प्रकार संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

The existing Rule 8 (i) of Purchase of Stores (Preference to Industries of Rajasthan) Rules, 1995 except "Note" appearing thereunder shall be substituted as under:-

8 (i) Micro and Small Enterprises which have obtained an acknowledgement of EM-II from the concerned District Industries Centre, shall make payment of earnest money @ 0.5% (half percent) of the value of the quantity offered for supply by them in respect of item(s) for which acknowledgement of EM-II has been issued to them.

Such Enterprises shall be required to pay security deposit @ 1% of the value of stores ordered to be supplied on furnishing of an attested copy of acknowledgement of EM-II with an affidavit by the Enterprise in the following format :-

Format of Affidavit

(on non judicial stamp paper of Rs. 10/-)

I, S/o.....Aged.....Yrs .. residing at..... Proprietor/Partner/Director of M/s..... hereby solemnly affirm and declare that:

- (a) My/Our above noted enterprise M/s..... has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center..... The acknowledgement No. is.....dated.....and has been issued for manufacture of following items:
- (i)
 - (ii)
 - (iii)
 - (iv)
 - (v)
- (b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.
- (c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

At 2

Signature of Proprietor/Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

.....2

CH-REULES

VERIFICATION

I S/o Aged Yrs.
residing at Proprietor/Partner/Director of
M/s. verify and confirm that the contents at (a), (b) & (c)
above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed
therein. So help me God.


DEPONENT

आज्ञा से,

(जी.डी.एस.)
विशेषाधिकारी

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यावाही एवं अपने अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु संकेत है :-

- 1 निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
- 2 निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव ।
- 3 सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
- 4 सचिव, लोकसूक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
- 5 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ।
- 6 समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
- 7 ग्राम सचालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
- 8 वित्त विभाग (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड डी) राजस्थान, जयपुर ।
- 9 समस्त विभागध्यक्ष/जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त । 10 वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर ।
- 11 समस्त कोषाधिकारी
- 12 सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
- 13 सचिव, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
- 14 कार्यालय एम प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
- 15 पारि. 25, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
- 16 विभागीय संघना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अतिरिक्त विभागीय सचिव को भेजकर अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
7. प्रशासनिक-कम-प्रोग्रामर, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प 17 (.) वित्त (समन्वय) / 24 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे ।


वरिष्ठ लेखाधिकारी